उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 41965

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 13,12,700/-
मालियत मूल्य	: रु0 13,24,700/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 1,32,500/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख किशोरी लाल एवं नन्द किशोर पु(त्रगण) बाबू लाल पुत्र स्व0 मक्खन लाल, श्रीमती दाईमाई पत्नी स्व0 मक्खन लाल, निवासीगण- ग्राम-मुजफ्फर नगर खुर्द, परगना – बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ (जिसे आगे) विक्रेता कहा गया

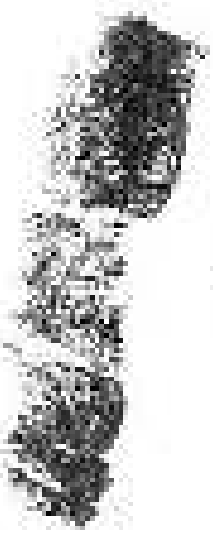

भारत
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 20000
Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 061957

-2-

है, प्रभु बजरंगी पुत्र पूरन लोटी निवासी–ग्राम [illegible], [illegible], पोस्ट–[illegible], जिला फतेहपुर, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खाता संख्या–475 रकबा 0.445 हेक्टेयर, खसरा संख्या–374 रकबा 0.045 हेक्टेयर, खाता संख्या–429 रकबा 1.055 हेक्टेयर, खाता संख्या–357 रकबा 0.120 हेक्टेयर, कुल रकबा 1.855 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात 0.927 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर [illegible], परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ [illegible], शामिल व

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

संक्रमणीय है तथा उपरोक्त राजस्व अभिलेखों खतौनी क्रम संख्या 00032 के अनुसार विक्रेता के नाम पर अंकित दर्ज राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा हस्तान्तरित कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, रेहन, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग, किसी न्यायालय या सरकारी

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible] के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या भाग इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के प्रतिफल रू0 17,[illegible],000/- (अक्षरे [illegible] लाख [illegible] हजार [illegible] सौ रूपये) के एवज में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित रीति के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता गण स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के नाम उपरोक्त वर्णित भूमि, [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में अंकित किया गया है, जो कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को कब्जा दिला दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने लगातार स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

561575

सकेगी। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान स्थानापन्नगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या दखल से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, स्थानापन्नगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

500Rs.

500रु. R.500

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर दुबाला, अर्धनगरीय क्षेत्र के निर्धारित जोन के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.927 हेक्टेयर की मालियत रू0 10,19,700/-

होती है, परन्तु उक्त भूमि पर एक आम का पेड़ है जिसकी मालियत रू० 5000/– होती है, इस प्रकार भूमि की कुल मालियत रू० 10,24,000/– होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू० 1,02,500/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–475 रकबा 0.645 हेक्टेयर, खसरा संख्या–374 रकबा 0.045 हेक्टेयर, खसरा संख्या–429 रकबा 1.055 हेक्टेयर, खसरा संख्या–257 रकबा 0.707 हेक्टेयर, कुल रकबा 1.853 हेक्टेयर के 1/2 भाग अर्थात 0.927 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

खसरा नं0 473

उत्तर : खसरा संख्या- 478, 509, 510
दक्षिण : खसरा संख्या- 474, 326
पूरब : खसरा संख्या–512, 513
पश्चिम : खसरा संख्या–476, 477, 480

खसरा नं0 374

उत्तर	: खसरा संख्या–373
दक्षिण	: खसरा संख्या–373
पूरब	: खसरा संख्या–373
पश्चिम	: खसरा संख्या–375

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH

11

खसरा सं0 429

उत्तर	: ग्राम सीमा ...
दक्षिण	: खसरा संख्या-477, 428
पूरब	: खसरा संख्या-430
पश्चिम	: खसरा संख्या-477

खसरा सं0 357

उत्तर	: खसरा संख्या-354, 355
दक्षिण	: खसरा संख्या-380, 387
पूरब	: खसरा संख्या-358
पश्चिम	: खसरा संख्या-367

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100 Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

परिशिष्ट 1 भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू० 3,39,900/- (रूपया तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) द्वारा चैक संख्या-450592 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

2. विक्रेता ने रू० 3,39,900/- (रूपया तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) द्वारा चैक संख्या-450594 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. विक्रेता ने रू0 3,39,900/- (रुपया तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या–450595 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 10,19,700/- (रुपया दस लाख उन्नीस हजार सात सौ रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र अब विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन

की होश में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक: 05.06.2006

गवाह

1\.

विक्रेता

2\.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम [illegible])

मसविदाकर्ता

([illegible] रमण सिंह)
एडवोकेट

ग्राम [illegible] तहसील [illegible]
जिला [illegible]

खसरा क्रमांक 925, 927, 928, 317
रकबा – 0.925 हे.

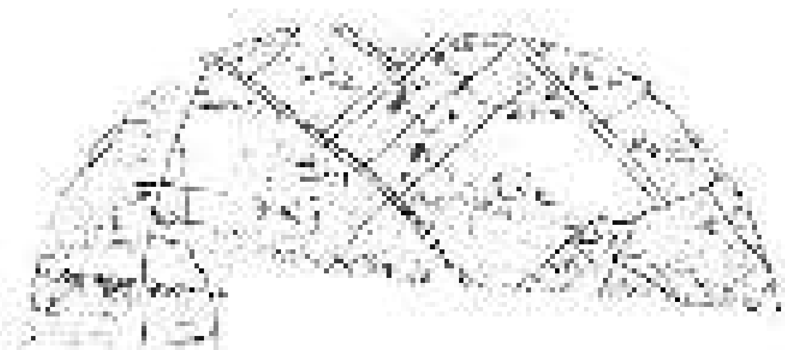

[illegible]

क्रेता

ग्राम [illegible] तहसील [illegible]
जिला [illegible]

खसरा संख्या — [illegible]
रकबा — [illegible]

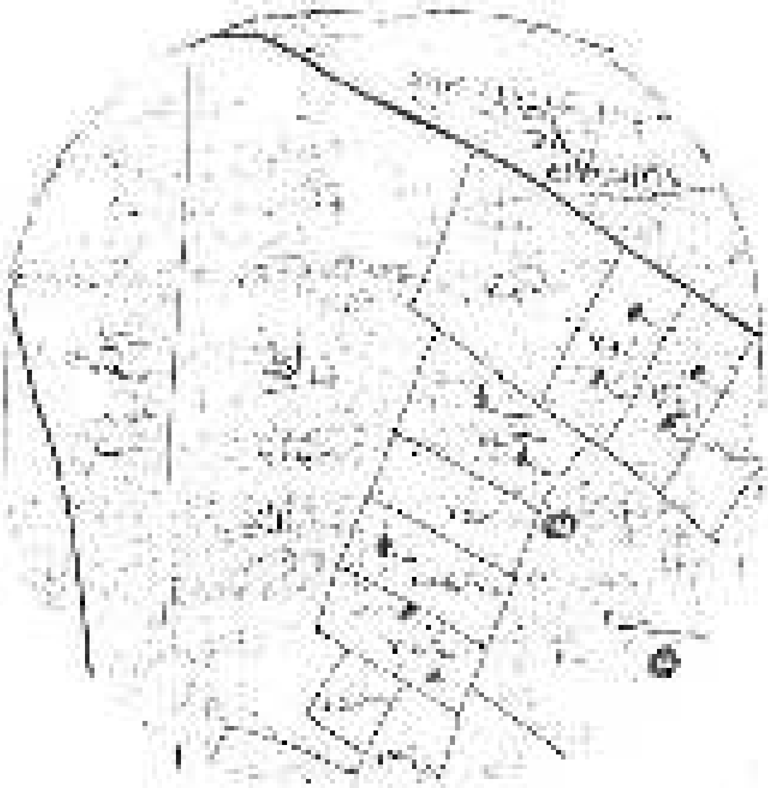

विक्रेता [illegible]

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 (ए) के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

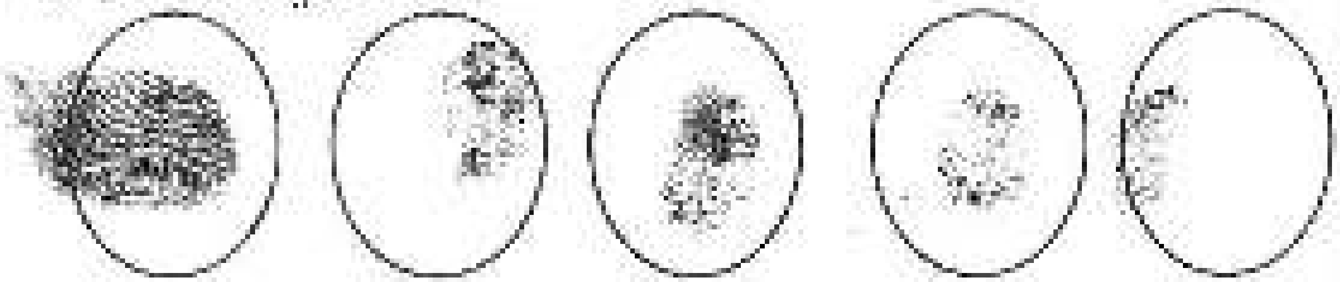

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

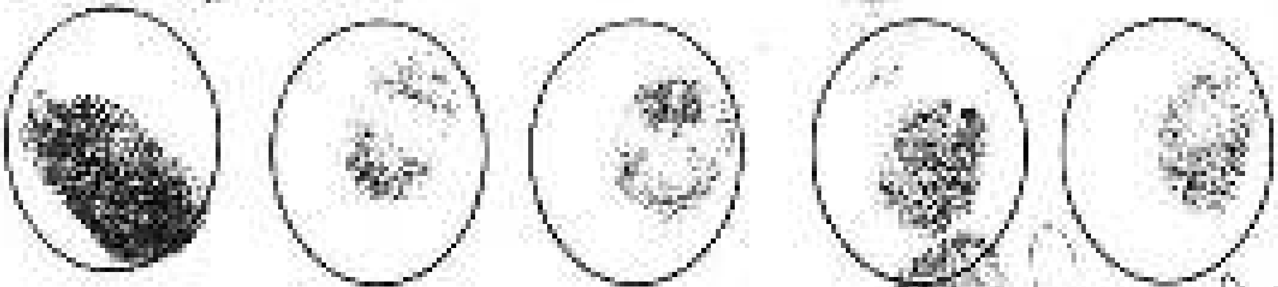

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

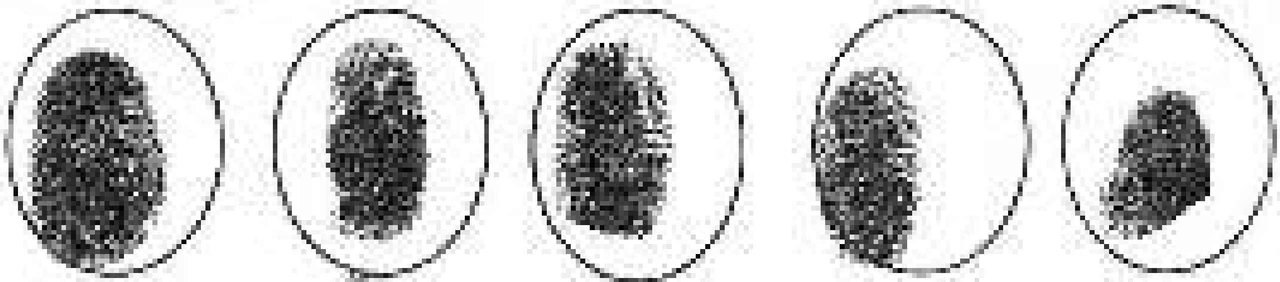

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

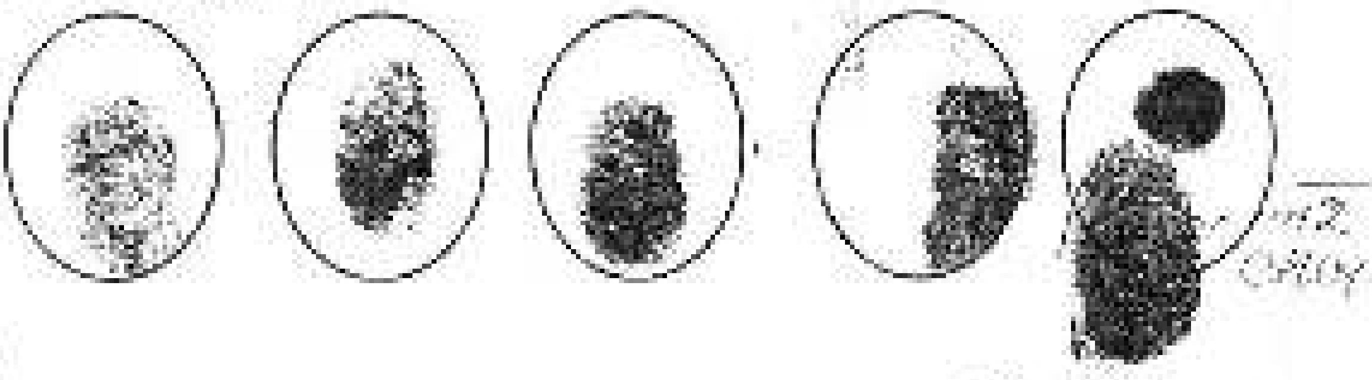

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर